प्रेस विज्ञप्ति

22.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध खनन मामले में 20/07/2024 को सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर क्षेत्र में अवैध खनन का नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन सुरेंद्र पंवार, विधायक, दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों और अन्य प्रमुख सहयोगियों द्वारा किया जाता है। सुरेंद्र पंवार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अंबाला (हरियाणा) के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 9 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने विभिन्न खनन पट्टों के खिलाफ जिला यमुनानगर में रेत, बोल्डर-बजरी और बोल्डर-बजरी-रेत के अवैध खनन से संबंधित आईपीसी, 1860 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत खनन लीज धारक कंपनियों नामत: मेसर्स मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स दिल्ली रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीएस बिल्डटेक, और विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट्स और स्टोन क्रशर्स और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि सुरेंद्र पंवार और उनके परिवार के सदस्य अवैध खनन में शामिल मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयरधारक हैं और खनन सिंडिकेट का हिस्सा हैं। इससे पहले, माननीय एनजीटी ने अवैध खनन सहित, नदी के प्रवाह को मोड़ना आदि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये, दिल्ली रॉयल्टी कंपनी पर 4.2 करोड़ रुपये और मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी पर 12 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि इस मामले में अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की कुल आय (पीओसी) 500 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेंद्र पंवार, दिलबाग सिंह, अंगद मक्कड़ आदि के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और परिणामस्वरूप दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को 08.01.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

आगे की जांच जारी है।